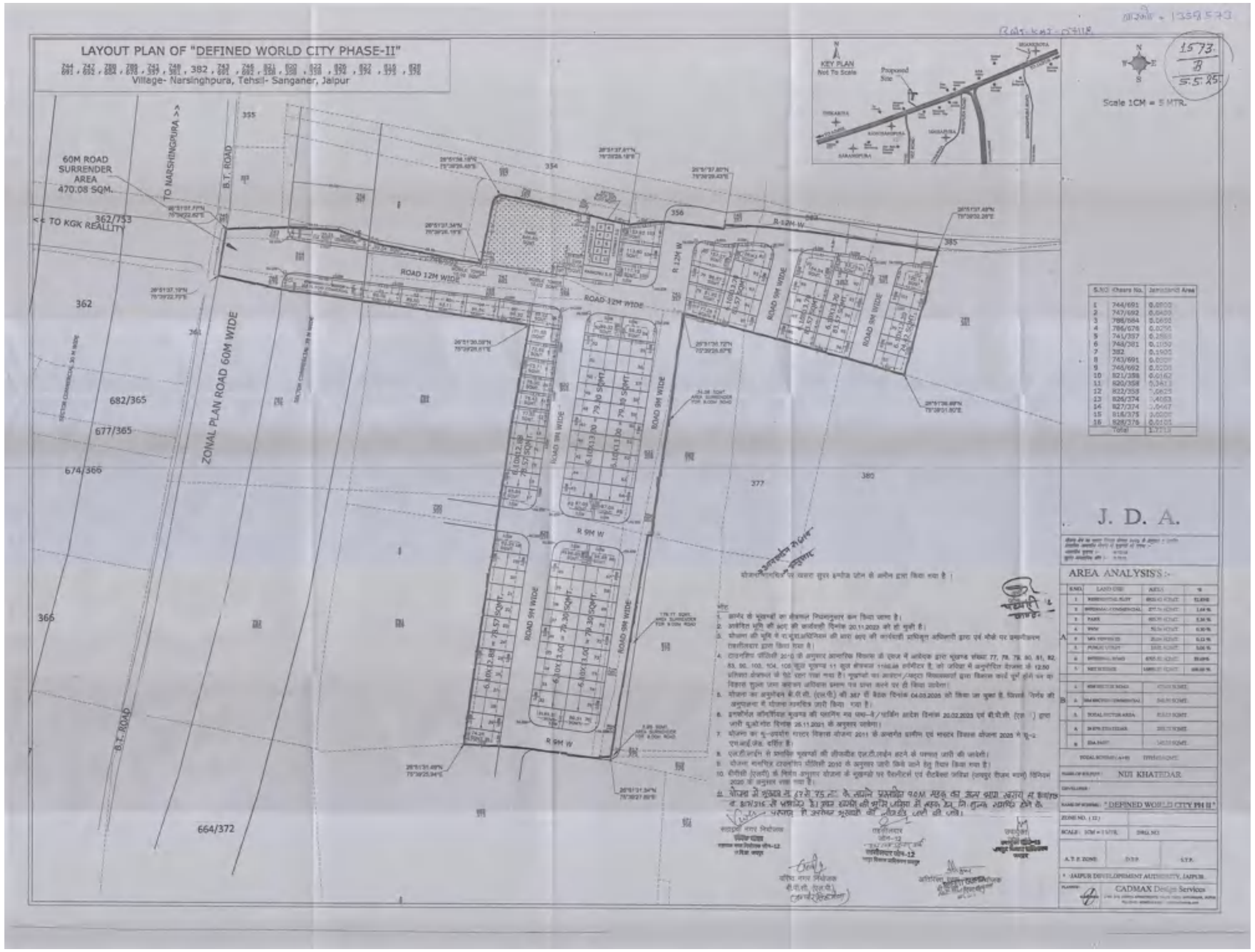
LAYOUT PLAN OF "DEFINED WORLD CITY PHASE-II"
Village- Narsinghpura, Tehsil- Sanganer, Jaipur
60M ROAD SURRENDER AREA 470.08 SQM.
<< TO KGK REALLITY
TO NARSINGHPURA >>
B.T. ROAD
ZONAL PLAN ROAD 60M WIDE
ROAD 12M WIDE
ROAD 9M WIDE
R 9M W
KEY PLAN
Scale 1CM = 5 MTR.
J. D. A.
AREA ANALYSIS :-
NIJI KHATEDAR
"DEFINED WORLD CITY PH II"
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR
CADMAX Design Services
682/365
677/365
674/366
664/372
362
366

163

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

T 493556

08 NOV 2024

नॉन ज्यूडिशियल

NOTARY HITESH KUMAR SINGHAL ADVOCATE & NOTARY JAIPUR (RAJ.) INDIA Reg. No. 11870 GOVT. OF INDIA

समर्पण नामा

(केवल कृषि भूमि के खातेदार द्वारा किया जाना है)

उपायुक्त जोन-12 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्रेषिती,
प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त महोदय, जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण , जयपरु

विषयः– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 99 के अंतर्गत राजस्व ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर [illegible] में स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार समर्पित करने के संबंध मे।

महोदय,

निवेदन है कि मैं / हम खातेदार स्नेहलता पत्नि श्री कैलाश ढाका निवासी ग्राम रसोड झुझुनु राजस्थान की उक्त भूमि की एकल खातेदार हूँ।

1. यह है कि उक्त भूमि मेरी/हमारी हमारी खातेदारी भूमि है।

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA
22 APR 2025

स्नेहलता

22 APR 2025

क्रमांक 0471 दिनांक ....

मुद्रांक का मुल्य 500/-

क्रेता का नाम स्नेहलता

पिता /पति का नाम कैलाश ढाका

निवासी स्थान जयपुर

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित कार्य का मूल्यांकन शपथ

विनोद

विनोद कुमार गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 55/09–10
JDA परिसर, जयपुर (राज.)
Mob No. 9928300939

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी पर प्रभारित अधिभार

आधारभूत आधारिक संरचना सुविधाओं हेतु धारा 3–ब)–10% रुपये 50

और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा3–ब)-20% रुपये 100

विनोद कुल योग 150

हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

164

2. यह है कि उक्त भूमि विवाद रहित है तथा इस भूमि पर किसी प्रकार का प्रभार नहीं है।
3. यह है कि इस भूमि पर से लगते हुये खसरा कमांक 744/691 रकबा 0,0900, खसरा कमांक 747/692 रकबा 0,0400, खसरा कमांक 788/684 रकबा 0,0650, खसरा कमांक 786/676 रकबा 0,0250, खसरा कमांक 741/357 रकबा 0,2865, खसरा कमांक रकबा 748/381 रकबा 0,1050, खसरा कमांक 382 रकबा 0,1900, खसरा कमांक 743/691 रकबा 0,0300, खसरा कमांक 746/692 रकबा 0,0200, खसरा कमांक 821/358 रकबा 0,0162, खसरा कमांक 820/358 रकबा 0,3613, खसरा कमांक 822/358 रकबा 0,0625, खसरा कमांक 826/374 रकबा 0,4053, खसरा कमांक 827/374 रकबा 0,0447, खसरा कमांक 816/375 रकबा 0,0200, खसरा कमांक 828/376 रकबा 0,0100 पर आवासीय प्रयोजनार्थ योजना डिफांड वर्ल्डसिटी फेज ।। अनुमोदन हेतू प्रस्तावित है।
4. उपरोक्त योजना की 9 मीटर की सडक से मेरी निजी खातेदारी की भूमि प्रभावित है। जो उक्त 9मीटर की रोड से प्रभावित भूमि इस प्रकार से हैं खसरा संख्या 817/375 रकबा 0.0175 हैक्टेयर में से 5.95 वर्गमीटर, खसरा संख्या 818/375 रकबा 0.2425 हैक्टेयर में से 178.77 वर्गमीटर एवं खसरा संख्या 829/376 रकबा 0.2100 हैक्टेयर में से 34.38 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 219.10 वर्गमीटर है जिसे मैं जविप्रा के पक्ष रास्ते के उपयोग हेतू सम्पुर्ण भूमि निशुल्क समर्पित करने की सहमति देती हुं।
5. यह है कि राजस्थान भूमी राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के अंतर्गत मेरे/हमारे अधिकार पुनर्ग्रहण योग्य है।
6. यह है कि प्रश्न भूमि राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी की संपदा अर्जन अधिनियम 1963/ नगरीय भूमी अधिकतम सीमा एवं नगरीय एवं विनियम अधिनियम 1976/ राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा आरोपण अधिनियम 1973 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है इस संबंध में कोई विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।
7. यह है कि प्रश्नगत भूमी राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी की सम्पदा अधिनियम 1963 एवं नगरीय भूमी अधिकतम सीमा एवं नियमन अधिनियम 1976 के प्रावधानों जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1973 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है तथा मैं इस वचनबद्वता के साथ अपने समस्त हकों को समर्पित करता हूँ की इस समर्पण के प्रतीफल के रूप में किसी प्रकार के मुआवजे की मांग नहीं करूंगा/करेंगे तथा इस संबंध में न्यायालय में विचाराधीन समस्त मामलों को उठा लूंगा/लेंगे।
8. राजस्थान भूमी राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के प्रावधानों के अतर्गत मैं अपने खातेदारी अधिकार समर्पित करता/करती हूँ।

आवेदक स्नेहलता

स्नेहलता ढाका

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

22 APR 2025

NOTARY ... KUMAR SINGHAL ADVOCATE & NOTARY ... (RAJ.) INDIA ... No. 11870 ... OF INDIA

165

सत्यापन

हम खातेदार मैं / हम खातेदार स्नेहलता पत्नि श्री कैलाश ढाका निवासी ग्राम रसोड झुझुनु राजस्थान सत्य निष्ठा से घोषणा करता हू कि प्रार्थना पत्र के मत संख्या 1 से 8 वर्ष वर्णित समस्त सही हैं तथा प्रार्थना पत्र को के संबंध में मेरी हमारी जानकारी के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं है।

आवेदक

स्नेहलता

स्नेहलता ढाका

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA
22 APR 2025

NOTARY
...AR SINGHAL
...E & NOTARY
...(RAJ.) INDIA
... 11570
...OF INDIA

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Service No./Property Id : 9818000032

क्रमांक: F-JDA/ZONE-12/2025/3462

उप पंजीयक

मुद्रांक एव पंजीयन विभाग,

जयपुर

विषय :- लीज़डीड पंजीकृत करने बाबत

महोदय,

इस पत्र के साथ **DEFINED WORLD CITY PHASE-II** योजना के भूखण्ड संख्या 68 क्षेत्रफल **79.30 SQ. METER** का लीज़डीड

[redacted] निवासी [redacted] के

पक्ष में निष्पादित कर भिजवाया जा रहा है। कृपया नियमानुसार पंजीकृत करने की कार्यवाही करावें।

संलग्न:- लीज़डीड

भवदीय

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR SHARMA
Date: 2025.10.07 10:47:07
Designation :Deputy Commissioner, (Zone 12)
Location:Jaipur Development Authority Jaipur

सत्यमेव जयते

जयपुर विकास प्राधिकरण

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)
आवासीय

Service No./Property Id : 9818000032

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम , 2012 के निय
के अंतर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक: F-JDA/ZONE-12/2025/3462

पट्टा धारक का नाम [redacted] निवासी [redacted]

भूखण्ड संख्या **69** क्षेत्रफल **79.30** SQ. METER **Niji Khatedar** की योज़ना **DEFINED WORLD CITY PHASE-II** में स्थित हैं ।

जयपुर विकास प्राधिकरण (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा निष्पादित किया जाता हैं ।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

[redacted]

Signed by: [redacted]
Designation: Applicant
Location: Jaipur
Date: 06/10/2025 16:07:18

नोट : शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR SHARMA
Date: 2025.10.07 10:49:50
Designation :Deputy Commissioner, (Zone 12)
Location :Jaipur Development Authority Jaipur

आवासीय

पट्टा विलेख की शर्ते फ्री होल्ड

(कृषि भूमि का गैर - कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम , 2012)

जविप्रा

पट्टे की शर्ते

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड / निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया हैं | भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में संबन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डो की पालना सुनिश्चित की जावे |
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब लीज) पर भी दे सकेगा|
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय / हस्तांतरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किए जाएंगे , परंतु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले मे कोई राशि देय नहीं होगी |
4. पट्टा विलेख को सरकार / जीवन बीमा निगम / ऋणदात्री संस्थाओ के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी |
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदंडो तहत करना होगा |
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन / पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा |
7. •• पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा | निर्धारित अवधि मे निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता हैं |
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया हैं तो उक्त भूखंड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा |
9. पट्टा विलेख की योजना में आंतरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता / गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा |
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमो, नियमो, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया हैं | इनके सभी प्रावधान एवं शर्ते लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा |

नोट : •• उक्त शर्त आवास (निर्मित भूखंड) में लागू नहीं होगी|

इस भूखंड की शहरी जमाबंदी को जोड़कर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 57240 होती हैं | अतएवं स्टाम्प राशि रु. 3450+0 के बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाए जाते हैं |

नोट :

साइट प्लान सलग्न हैं |

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

[redacted]

Signed by: [redacted]
Designation: Applicant
Location: Jaipur
Date: 06/10/2025 16:07:18

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR SHARMA
Date: 2025.10.07 10:42:50
Designation :Deputy Commissioner, (Zone 12)
Location :Jaipur Development Authority Jaipur

साक्षी :

[redacted]

Signed by: Ram Chandra Gupta
Designation: Witness
Location: Jaipur
Date: 06/10/2025 13:22:27

जयपुर विकास प्राधिकरण

जविप्रा

SITE PLAN OF PLOT NO. 69

NIJI KHATEDARI RESIDENTIAL SCHEME :-"DEFINED WORLD CITY PHASE-II"

AT VILLAGE- NARSINGHPURA, TEHSIL-SANGANER, DISTT - JAIPUR.

AREA :- 79.30 SQ.MTR.

SCALE -1CM=5M

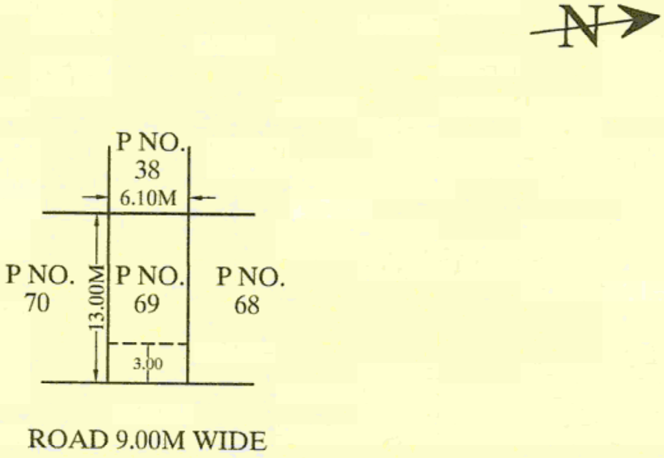

THE CONSTRUCTION OF BUILDING AS PER BUILDING BYE LAWS.

(A) SET BACKS

1. FRONT = 3.00M
2. REAR = NIL
3. SIDE - 1 = NIL
4. SIDE - 2 = NIL

(B) MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT : 8.00 MTR.

(C) STORIES : G+1

(D) THE CONSTRUCTION PERMISSION OF BUILDING WILL BE AS PER APPLICABLE BUILDING BYE LAWS.

(E) APPROVED MAP AS PER TOWNSHIP POLICY 2010

Signature valid
Digitally signed by Rohit Mathur
Date: 2025.10.04 14:56:50
Designation :Junior Engineer
Location:Jaipur Development Authority Jaipur

SITE ENGINEER
ZONE - 12

Signature valid
Digitally signed by Vivek Yadav
Date: 2025.10.04 15:05:1
Designation :Assistant Town Planner, (Zone 12)
Location:Jaipur Development Authority Jaipur

A.T.P.
ZONE - 12

Signature valid
Digitally signed by RAVINDRA KUMAR SHARMA
Date: 2025.10.07 10:18:25
Designation :Deputy Commissioner, (Zone 12)
Location:Jaipur Development Authority Jaipur

DY. COMMISSIONER
ZONE - 12